

न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्याय कक्ष संख्या-1, रामपुर।

उपस्थित: शोभित बंसल, (उ०प्र० न्यायिक सेवा) (ID.No.-UP2246)

फौजदारी वाद संख्या-142/2026

रजिस्ट्रेशन संख्या-8322/2026

सी.एन.आर.संख्या-UPRP040095302026

सरकार बनाम मुस्तफा आदि।

मु०अ०सं०-21/2026

धारा-64(1), 123, 351(2)

भारतीय न्याय संहिता,

थाना-सैफनी, रामपुर।

सत्र सुपुर्दगी आदेश

पत्रावली पेश। पुकार कराई गई। पुकार पर अभियुक्त **मुस्तफा** जेरे हिरासत जेल से तलब होकर एवं अभियुक्ता **श्रीमती मुरादन** जेरे जमानत न्यायालय में उपस्थित।

उपरोक्त प्रकरण में सम्बन्धित विवेचक द्वारा अभियुक्त **मुस्तफा** के विरुद्ध धारा 64(1), 123 बी.एन.एस. तथा अभियुक्ता **श्रीमती मुरादन** के विरुद्ध धारा 351(2) बी.एन.एस. के विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत अभियोजन दस्तावेजों की प्रतिलिपियां अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को आज दिनांक 11-05-2026 को नियमानुसार प्रदान की जा चुकी हैं।

अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः प्रस्तुत वाद की पत्रावली अभियुक्तगण की उपस्थिति में विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायालय के सुपुर्द की जाती है।

अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण दिनांक 26.05.2026 को माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

पत्रावली मय कैलेण्डर अन्दर तीन दिन माननीय सत्र न्यायालय को भेजी जाये। इस सम्बन्ध में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) को सूचित किया जाये।

दिनांक 11-05-2026

(शोभित बंसल)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

न्याय कक्ष संख्या-1, रामपुर।

IDNO.-UP2246